न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, देहरादून।

उपस्थित – अंजली बेंजवाल, उच्चतर न्यायिक सेवा।

FORM -A

सत्र विचारण संख्याः 116 सन् 2017 **CNR No. UKDD01-003789-2017** **राज्य बनाम दीपक शर्मा आदि** **मु0अ0सं0– 179 सन् 2015** **अंतर्गत धारा– 307, 332, 353, 504,506 भारतीय दंड संहिता** **थाना– डालनवाला, जिला देहरादून**	
शिकायतकर्ता/परिवादी	उत्तराखण्ड राज्य एवं शिकायतकर्ता का नाम– कां0 1632 सीपी धर्मेन्द्र कुमार, यातायात पुलिस, देहरादून
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता का नाम– श्री आशुतोष शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी), देहरादून
अभियुक्तगण	1. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री शशिराज शर्मा, निवासी आई जी– 1/45 ए मौ0 विकासपुरी, थाना विकासपुरी, नई दिल्ली। 2. श्री अजय शर्मा पुत्र श्री बिटटू शर्मा निवासी 325/5 पूर्वी पटेलनगर थाना पटेलनगर, देहरादून। 3. श्री आकाश थापा पुत्र श्री दिनेश थापा निवासी 29 बी डंगवाल मार्ग, नेशविला रोड, देहरादून। हाल– ब्लॉक 52 वसुन्धरा एन्कलेव थाना पटेलनगर, देहरादून
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रूपेन्द्र सिंह भंडारी, एडवोकेट

FORM - B

घटना का दिनांक व वर्ष	07.08.2015
प्रथम सूचना का दिनांक	07.08.2015
आरोप पत्र/परिवाद का दिनांक	10.05.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	20.12.2017

साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	27.04.2018
निर्णय सुरक्षित की तिथि	27.10.2026
निर्णय का दिनांक	06.11.2026
दण्डादेश आदेश, यदि कोई हो,	दोषमुक्त

अभियुक्तगण का विवरण

श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित धारांए	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दण्ड	धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत विचारण के दौरान निरूद्ध रहने की अवधि
1.	श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री शशिराज शर्मा, निवासी आई जी– 1/45ए मौ0 विकासपुरी, थाना विकासपुरी, नई दिल्ली।	07.08.2015	14.08.2015	307,332,353, 504,506 सपठित 34 भा0 दं0 सं0	दोषमुक्त	–	7 दिन
2.	श्री अजय शर्मा पुत्र श्री बिटटू शर्मा निवासी 325/5 पूर्वी पटेलनगर थाना पटेलनगर, देहरादून।	07.08.2015	14.08.2015	307,332,353, 504,506 सपठित 34 भा0 दं0 सं0	दोषमुक्त	–	7 दिन
3.	श्री आकाश थापा पुत्र श्री दिनेश थापा निवासी 29 बी डंगवाल मार्ग, नेशविला रोड, देहरादून। हाल– ब्लॉक 52 वसुन्धरा एन्कलेव थाना पटेलनगर,देहरादून	07.08.2015	14.08.2015	307,332,353, 504,506 सपठित 34 भा0 दं0 सं0	दोषमुक्त	–	7 दिन

FORM - C

अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्ल्यू0 1	कां0 धर्मेन्द्र कुमार	वादी मुकदमा
पी0डब्ल्यू0 2	कां0 विनोद शाह	वायरलैस ऑपरेटर
पी0डब्ल्यू0 3	कां0 आशा लाल	ट्रैफिक कांस्टेबल दिलाराम चौक
पी0डब्ल्यू0 4	श्री विपिन खंडूरी	घटना के साक्षी
पी0 डब्ल्यू0 5	उपनिरीक्षक जगदीश कुमार रतूड़ी	घटना के साक्षी
पी0 डब्ल्यू0 6	श्री विमल चन्द टम्टा	यातायात निरीक्षक
पी0 डब्ल्यू0 7	कां0 संजय सिंह	चिक एफ0आई0आर0 लेखक
पी0 डब्ल्यू0 8	डा0 जगदीश जोशी	चुटैल की चोटो का परीक्षण करने वाला चिकित्सक
पी0 डब्ल्यू0 9	निरीक्षक कमल कुमार लुन्ठी	विवेचक
पी0डब्ल्यू0 10	एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह	विवेचक
पी0 डब्ल्यू011	उपनिरीक्षक डी0पी0 सिंह	कंट्रोल रूम के रिकार्ड से संबंधित गवाह

बचाव साक्षी

शून्य

न्यायालय साक्षी– शून्य

अभियोजन प्रदर्श सूची

क्रम सं0	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	तहरीर
2.	प्रदर्श पी–2	गिरफतारी/सूचना मेमो आकाश थापा
4.	प्रदर्श पी–3	गिरफतारी/सूचना मेमो दीपक शर्मा

5.	प्रदर्श पी–4	गिरफतारी / सूचना मेमो
6.	प्रदर्श पी–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
7.	प्रदर्श क–6	फोटो कापी जी0डी0 40 / 21:40
8.	प्रदर्श क–7	मैडिकल श्री धर्मेन्द्र व श्री अजय शर्मा
9.	प्रदर्श क–8	आरोपपत्र
10.	प्रदर्श क–9	फर्द बरामदगी वर्दी की शर्ट, टूटी नेमप्लेट
11.	प्रदर्श क–10	फर्द बरामदगी टी शर्ट
12.	प्रदर्श पी–11	नक्शा नजरी
13.	प्रदर्श पी– 12	अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूर संचार देहरादून द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट

वस्तु प्रदर्श सूची

क्रम सं0	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	वस्तु प्रदर्श –1	यातायात वर्दी का पुलिन्दा
2.	वस्तु प्रदर्श –2	वादी की वर्दी की शर्ट
3.	वस्तु प्रदर्श–3	वर्दी की टूटी नेम प्लेट
4.	वस्तु प्रदर्श–4	टी शर्ट का माल पुलिन्दा
5.	वस्तु प्रदर्श –5	वादी की नीले रंग की टी शर्ट
6.	वस्तु प्रदर्श –6	नमूना मोहर वादी की शर्ट
7.	वस्तु प्रदर्श–7	नमूना मोहर वादी की टी शर्ट

बचाव प्रदर्श

शून्य

दिनांक 06.11.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा तथा आकाश थापा के विरूद्व धारा 332, 353, 504, 506, 307 भारतीय दंड संहिता, थाना डालनवाला जिला देहरादून के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर संस्थित किया गया है। अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए उक्त मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा दिनांक 11.10.2017 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किए जाने पर प्रारम्भ हुआ। उपरोक्त सत्र परीक्षण माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

मामले के तथ्यः–

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा कां0 1632सीपी धर्मेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 07.08.2015 को एक तहरीर थाना डालनवाला में इस आशय की दी गई कि–

> *''दिनांक 07.08.2015 को मेरी ड्यूटी युकेलिप्टिस चौक पर भी समय करीब 8:15 शाम कन्ट्रोल से सूचना आई थी कि स्वीफ्ट कार जिसका नंबर* ***D.L 12CH 5629*** *है। ग्रेट वैल्यू से मधुबन कट के बीच में एक्सीडेंट करके यूकेलिप्टिस की ओर आ रही है। रोको जिसकी सूचना मुझे जेबरा–1 का0 आशा लाल ने वायरलेस सेट से दी, तभी मैं डिवाडर और लेफ्ट टर्न के पास अलर्ट हो गया कि लगभग करीब 8:30 शाम मारूती स्वीफ्ट सफेद रंग की कार जिस का नंबर* ***D.L 12CH 5629*** *एक दम तेजी से लेफ्ट टर्न आये मेरे द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने गाड़ी मेरे उपर चढाने का प्रयास किया मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सम्भाल कर इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी के अंदर बैठे तीनों लड़के जिसमें से दो ने अण्डर शर्ट उतार रखी थी और गाडी से एक चीचे उतर कर मरे साथ लात–घुसे*

मारने शुरू कर दिया और तीनों ने मेरे गले में कोई कपड़ा डालकर खींच कर/ दबाकर मुझे जान से मारने का प्रयास करने लगे, तभी वहां पर पब्लिक वाले आ गये मैंने इसकी सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम को दी कि मेरे साथ तीन लड़के मारपीटाई व मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे है। जल्दी से फोर्स भेजो पब्लिक वालों ने मुझे इन तीनों से छुडाया इन्होंने काफी दारू पी रखी थी, जिनके नाम दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा इन तीनों ने मुझे डयूटी करने से रोका और मरे साथ मारपीटाई की व जान से मारने की कोशिश की इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। ''

3. उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 पर दिनांक 07.08.2015 को थाना डालनवाला, देहरादून में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध सं0179/2015 अंतर्गत धारा 332, 353, 504, 506, 307 भारतीय दंड संहिता अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा के विरूद्ध धारा 332, 353, 504, 506, 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण पर आरोप

4. दिनांक 20.12.2017 को अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा के विरूद्ध धारा धारा 332 सपठित 34, 353 सपठित 34, 504 सपठित 34 , 506 सपठित 34, 307 सपठित 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोप लगाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और परीक्षण चाहा।

परीक्षित कराए गए अभियोजन साक्षीगण

5. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत कुल 11 साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 कां0 धर्मेन्द्र कुमार, पी0 डब्लू0 2 कां0 विनोद शाह, पी0 डब्लू0 3 कां0 आशा लाल, पी0 डब्लू0 4 श्री विपिन खण्डूरी, पी0 डब्लू0 5 श्री

जगदीश कुमार, पी0 डब्लू0 6 श्री विमल चन्द टमटा, पी0 डब्लू0 7 कां0 संजय सिंह, पी0 डब्लू0 8 डा0 जगदीश जोशी, पी0 डब्लू0 9 निरीक्षक कुल कुमार लुन्ठी, पी0 डब्लू0 10 एस0आइ0 सुरेन्द्र सिंह, पी0 डब्लू0 11 उप निरीक्षक डी0पी0 सिंह अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराये गये हैं ।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श क–1 तहरीर, प्रदर्श पी–2 गिरफतारी/सूचना मेमो आकाश थापा, प्रदर्श पी–3 गिरफतारी/सूचना मेमो अजय शर्मा, प्रदर्श पी–4 गिरफतारी/सूचना मेमो दीपक शर्मा, प्रदर्श पी–5 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी–6 फोटो कापी जी0डी0 40/21:40, प्रदर्श पी–7 मैडिकल श्री धर्मेन्द्र व श्री अजय शर्मा, प्रदर्श पी–8 आरोपपत्र, प्रदर्श पी–9 फर्द बरामदगी वर्दी की शर्ट, टूटी नेमप्लेट, प्रदर्श पी–10 फर्द बरामदगी टी शर्ट, प्रदर्श पी– 11 नक्शा नजरी, प्रदर्श पी–12 अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूर संचार देहरादून द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट, दाखिल किये गए हैं।

7. अभियोजन की ओर से वस्तु प्रदर्श के रूप में वस्तु प्रदर्श 1 लगायत 7 पुष्ट किए गए हैं।

<u>अभियुक्त के बयान 313 दंड प्रक्रिया संहिता</u>

8. दिनांक 03.07.2026 को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। जिसमें अभियुक्त दीपक शर्मा द्वारा अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही देना कहा, यह भी कहा है कि उनके द्वारा पुलिस की अवैध पैसो की मांग पूरी करने से मना कर दिया था इसलिए झूठा मुकदमा कायम किया गया, वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। अवैध पैसो की मांग पूरी न करने पर पुलिस ने उनके साथ मारपीट की व झूठा मुकदमा कायम कराया। अभियुक्त अजय शर्मा द्वारा अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही देना झूठे कागज तैयार करना कहा, यह भी कहा है कि फर्जी मैडिकल बनवाया है। पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक कर अवैध पैसो की मांग की थी। मांग पूरी न होने के कारण झूठा मुकदमा कायम किया गया, वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। पुलिस ने उनके साथ

मारपीट की व झूठा मुकदमा कायम कराया। अभियुक्त आकाश थापा द्वारा अभियोजन साक्षियों द्वारा झूठी गवाही देना कहा, यह भी कहा है कि गलत विवेचना कर गलत आरोपपत्र दिया है, उनकी गाड़ी रोककर पुलिस द्वारा अवैध पैसो की मांग की गई तथा मना करने पर उनके साथ मारपीट की व झूठा मुकदमा कायम कराया। वह निर्दोष है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्ष्य देने का कथन किया गया परन्तु कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री आशुतोष शर्मा तथा अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0एस0 भण्डारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

10. सर्वप्रथम अभियेाजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है।

अभियोजन साक्ष्य

11. अभियोजन साक्षी संख्या 1 कां0 धर्मेन्द्र कुमार, जो **वादी मुकदमा** है, जिसके द्वारा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' दिनांक 07.08.2015 की घटना है उस दिन मै समय लगभग 8 बजे दिलाराम चौक पर ट्रैफिक का0 के पद पर तैनात था। मेरी शाम की डयूटी थी कंट्रोलरूम से सूचना मिली थी कि स्वीफट कार डीएल जिसको उसका ड्राइवर चला रहा था वह डाइवर रफ डाइविंग करते हुए और एक्सीडेंट कर होटल अकेता की तरफ से दिलाराम चौकी की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर चौक पर गाडियों की चैकिंग करने लगा। थोडी देर बाद फिर से वह गाडी नीचे की तरफ आने की सूचन मिली, इस सूचना पर मैंने उस बाडी का तलाशना शुरू किया तभी उक्त सिफट कार बडी तेजी से दिलाराम चौक की तरफ दोबारा आई । मैने सडक पर आकर इशारे से उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन उसके डाइवर ने

गाडी को और तेजी व खतरनाक तरीके से चलाकर मेरे उपर चडाने का प्रयास किया। मैं बडी मुश्किल से कुचलने से बचा। गाडी तेजी से दिलाराम चौक से आगे यूकेलिप्टिस चौक की तरफ निकल गई । यह बात मैंने वासरलैस से तुरंत उस चौक पर मौजूद जैबरा 2 कां0 धमेन्द्र कुकार को दी मुझे थेडी देर बाद एक गाडी वाले ने बताया कि एक स्वीफअ गाडी के लड़के यूकेलिप्टिस चौक पर टेफिक सिपसी के साथ मारपीट कर रहे हैं । यह घटना सवा आठ बजे रात के आस पास की है। मै भी इस सूचना पर यूकेलिप्टिस चौक पर पहुंचा। वहां पर तीन लडके जो कि स्विीफट कार में थे मौजूद थे जिनमें से दो ने उपर के कपडे नहीं पहने थे और तीसरे व्यक्ति ने कपडे पहने थे। तीनो व्यक्ति मेरे सामने भी धर्मेन्द्र को गाली दे रहे थे। और धर्मेन्द्र से उसके गाडी रोकने का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। तीनो व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। धर्मेन्द्र की हालत खराब थी वह अपना गला पकड कर बैठा था, उठ नहीं पा रहा था। उसका गला और चेहरा लाल हो रखा था। उसने मुझे बताया कि स्वीफट कार में सवार इन तीनों व्यक्तियों ने मेरे गले में कपडे का फंदा बनाकर गला घोटा उसकी वर्दी फटी हुई थी नेम प्लेट टूट गई थी। मौके पर चीता मोबाइल ट्रैफिक इन्सपेक्टर एक व दो तथा अन्य फोर्स मोके पर आ गई थीं। मै उसके बाद वापस अपनी डयूटी पर चलपा गया था। दिनांक 07.08.2015 को मैं शाम की सिफट 5 बजे की डयूटी में यूकेलिप्टिस चौक राजपुर रोड़ पर तैनात था। कंट्रोल रूम में मुझे रात्रि सवा 8 बजे सूचना मिली कि सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार डी एल 12 सी एच 5629 उपर ग्रेट बैल्यू पर एक्सीडेंट करके दिलाराम बाजार की ओर आ रही है, यह सूचना मुझे दिलाराम चौक पर आरटी सैट से तैनात सिपाई आशालाल से प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैं डिवाइडर पर लैफट टर्न पर आकर खड़ा हो गया। तभी मुझे तेज गति से आती हुई सफेद रंग की उपरोक्त कार आती दिखाई दी तब मैने उस कार के बोनट पर हाथ मारकर रोकने का प्रयास किया। तभी कार में बैठे तीन लड़के जिसमें से दो लड़को ने अण्डर शर्ट उतार रखी थी, कहने लगे कि

सामने से हट जा नही तो तुझे भी कार से टक्कर मारकर उड़ा देंगे। तभी मैने मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कार को रोका तो कार में से तीनों लड़के उतरकर मेरे साथ गाली गलौच करने लगे और मारपीट करते हुए कार में से एक लड़के ने टी शर्ट निकालकर लाया और मेरे गले में फंदा बनाकर तीनों लड़के खीचने लगे, कहने लगे कि इसको मार दो, इसका भी खेल खत्म करते हैं। मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तभी मैं नीचे गिर पड़ा तो इन तीन लड़को ने मुझे मारपीट कर गाली गलौच करने लगे। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएगे। मैने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन ये तीनों लड़के मुझे मारते रहे। तभी वहां पर जनता के लोग आ गये और उन्होने मुझे बचाने का प्रयास किया। इसकी सूचना मैने कंट्रोल रूम को दी। सूचना मैने कुछ समय बाद जब मै अपने को थोड़ा से ठीक महसूस कर रहा था तब दी थी। मैने सूचना दी कि तुरन्त फोर्स भेजो। इस सूचना पर पर टी आई प्रथम विमल टम्टा व चीता फोर्स व सीपूयू वाले मौके आ गये। इन तीनों लड़को ने काफी शराब पी रखी थी। आज हाजिर अदालत दो मुल्जिमान को देखकर बताया कि यह दो उन्ही तीनों में से हैं, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट व जान से मारने का प्रयास किया था। तीसरा व्यक्ति आज हाजिर अदालत नही है।

गवाह ने तीनों हाजिर अदालत अभियुक्त को देखकर बताया कि यह वहीं तीनों अभियुक्त है जिन्होंने मेरे साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए मेरे साथ मारपीट की और मेरे गले में टी शर्ट डालकर गला दबाकर जान से मारने की नीयत से मारने का प्रयास किया। सरकारी कार्य करते समय, गाली गलौच करते हुए, जान से मारने की धमकी दी। इनकी मारपीट से मेरी सरकारी वर्दी फट गयी थी, बटन टूट गये थे और मेरी नेम प्लेट भी टूट गयी थी। इस घटना की रिपोर्ट मैने थाना डालनवाला में लिखवायी थी। रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 3क/2 पर संलग्न है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। गवाह ने इस पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिस पर ***प्रदर्श क–1*** *डाला गया।*

विवेचक के द्वारा मेरे से घटना के समय पहनी हुई सरकारी वर्दी की शर्ट कब्जे में ली थी तथा फर्द तैयार की थी जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 6क/1 पर संलग्न है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपने हस्ताक्षर जिसको लाल रंग के घेरे में मार्क ए से चिन्हित किया गया, पहचाना। विवेचक के द्वारा यूकेलिप्टिस चौक पर पुलिस बूथ के बगल से एक नीले रंग की टी शर्ट मेरे सामने कब्जे में ली थी तथा फर्द तैयार की थी जो पत्रावली पर कागज संख्या 6क/2 है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपने हस्ताक्षर जिसको लाल रंग के घेरे में मार्क ए से चिन्हित किया गया, पहचाना। मेरी चोटों का मुआयना कोरोनेशन अस्पताल में हुआ था। तीनों अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी मीमों मेरे सामने तैयार किया गया था, जिस पर मैने बतौर गवाह अपने हस्ताक्षर किये थे। गिरफतारी मीमों पत्रावली पर कागज संख्या 8क/1 ता 8क/3 संलग्न है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपने हस्ताक्षर जिसको लाल रंग के धेरे में मार्क ए से चिन्हित किया गया, पहचाना।

वाद से संबंधित माल पुलिन्दा आज न्यायालय में प्रस्तुत है। माल पुलिन्दा सीलबंद है। माल पुलिन्दे पर मु०अ०सं० 179/15 से संबंधित विवरण अंकित है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। पुलिन्दे को न्यायालय के आदेश पर खोला गया। जिसे खोलने पर इसके अंदर से वर्दी की सफेद रंग की शर्ट निकली जिसके सामने की तीन बटन टूटे है, बायी जेब फटी है। दाहिने जेब फटकर लटकी है और उस पर टूटी हुई नेम प्लेट लगी है। गवाह ने शर्ट देखकर बताया कि यह वही शर्ट है जो मेने घाटा के समय पहनी थी। अभियुक्तगणों के द्वारा की गयी मारपीट के दौरान फट गयी थी। माल पुलिन्दे पर वस्तु प्रदर्श 1 शर्ट पर वस्तु प्रदर्श 2 तथा नेम प्लेट पर वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया। वाद से संबंधित एक अन्य पुलिन्दा न्यायालय में प्रस्तुत है। माल पुलिन्दा सीलबंद है। माल पुलिन्दे पर मु०अ०सं० 179/15 से संबंधित विवरण अंकित है. जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। पुलिन्दे को न्यायालय के

आदेश पर खोला गया, जिसके अन्दर से एक नीले रंग की टी शर्ट निकली जिस पर आगे औथेटिक कंपटाउन लिखा है। गवाह ने टी शर्ट देखकर बताया कि यह वही टी शर्ट है जिस टी शर्ट से अभियुक्तगणों ने मेरा गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया था। माल पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श 4** *टी शर्ट पर* ***वस्तु प्रदर्श 5*** *डाला गया। नमूना मोहर वादी की शर्ट व नमूना मोहर टी शर्ट पर क्रमशः* वस्तु प्रदर्श 6 और 7 *डाला गया।''*

12. अभियोजन साक्षी संख्या 2 कां0 विनोद शाह, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' साक्षी द्वारा आज दिनांक 23.07.2019 को सशपथ बयान किया गया किः–साक्षी द्वारा आज दिनांक 23.07.2019 को सशपथ कथन किया कि दिनांक 07.08.2015 को मैं टेफिक कंट्रोल देहरादून में वायरलैस ऑपरेटर के पद पर तैनात था सीटी कंट्रोल रूम से लगभग 20.05 बजे सूचना मिली थी कि डी०एल० 5629 जो कि अकेता होटल से एक्सिडेंट मार कर दिलाराम चौक की तरफ आ रही है उक्त सूचना मैने दिलाराम चौक पर मौजूद जेबरा 1 व जेबरा 2 को दी थी 20.08 बजे जेबरा 2 ने उक्त वाहन को यूकेलिपटिस चौक पर रूकवा दिया। उसने सेट पर बताया था कि कार में चार पांच लोग है और सभी शराब के नशे में है गाडी रोकने पर उन्होंने उसके साथ हाथापाई की उक्त सूचना पर मैने ट्रैफिक इंस्पेकटर 2 एवं सी०पी०यू यूनिट को नं0 8 को मौके पर पहुंचने के लिए कहां साथ ही सीटी कंट्रोल रूम को संबंधित थाने से फोर्स भेजने के लिए अवगत करवाया। उसके 15 20 मिनट बाद इंस्पेक्टर 2 ने बताया की हम उन्हें थाना डालनवाला ले जा रहे है। यह सारी सूचना मैने लॉग बुक में अपने हस्तलेख में दर्ज की थी। लॉग बुक की फोटो पत्रावली पर कागज सं० 9 क्ध्3 है। मूल लॉग बुक वीड आउट हो चुकी है जिसका सेर्टिफीकेट में लेकर आया हूँ जो आज न्यायालय मे दाखिल कर रहा हूँ। गवाह ने कागज सं० 9 क/3 पर अपने हस्तलेख की पुष्टि की।''

13. अभियोजन साक्षी संख्या 3 कां0 आशा लाल, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' दिनांक 07.08.2015 की घटना है उस दिन में समय लगभग 8:00 बजे दिलाराम चौक पर ट्रैफिक कॉ० के पद पर नियुक्त था, मेरी शाम की डयूटी थी। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि स्वीफ्ट कार डी०एल० 12सीएच 5629 जिसको उसका ड्राइवर रफ डाईविंग करते हुए और एक्सिडेंट कर होटल अकेता की तरफ से दिलाराम चौकी की तरफ आ रहा है। मैं इस सूचना पर चौक पर गाडियो की चौकिंग करने लगा। कुछ देर बाद एक स्वीफ्ट सफेद रंग बहुत तेजी से आई और मैंने उसको बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्वीफ्ट के डाईवर ने गाडी को तेजी से वापस यू टर्न लेकर राजपुर रोड़ की ओर मोड लिया और राजपुर की तरफ भाग गया। मैंने इस बात की सूचना कंट्रोल रूम को दी थी और उनको चौकिंग के लिए बोला। थोडी देर बाद फिर से वह गाडी नीचे की तरफ आने की सूचना मिली, इस सूचना पर मैंने उस गाडी को तलाशना शुरू किया तभी उक्त स्वीफ्ट कार बडी तेजी से दिलाराम चौक की तरफ दोबारा आई। मैंने सडक पर आकर इशारे से उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन उसके ड्राइवर ने गाडी को और तेजी व खतरनाक तरीके से चलाकर मेरे उपर चडाने का प्रयास किया। मैं बड़ी मुश्किल से कुचलने से बचा। गाडी तेजी से दिलाराम चौक से आगे यू०के० लिप्टिस चौक की तरफ निकल गई। यह बात मैंने वायरलैस से तुरंत उस चौक पर मौजूद जैबरा 2 कॉ० धर्मेंद्र कुमार को दी मुझे थोडी देर बाद एक गाडी वाले ने बताया कि एक स्वीफट गाडी के लडके यू०के० लिप्टिस चौक पर ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट कर रहे हैं। यह घटना सवा आठ बजे रात के आस पास की है। मैं भी इस सूचना पर यू०के० लिप्टिस चौक पर पहुंचा। वहां पर तीन लडके जो कि स्वीफ्ट कार में थे। मौजूद थे जिनमें से दो ने उपर के कपडे नहीं पहने थे और तीसरे व्यक्ति ने कपडे पहने हुए थे। तीनो व्यक्ति मेरे सामने भी धर्मेन्द्र को

गाली दे रहे थे और धर्मेन्द्र से उनकी गाडी रोकने का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। तीनो व्यक्तियों ने शराब पी रखी थी। धर्मेन्द्र की हालत खराब थी वह अपने गला पकड कर बैठा था उठ नहीं पा रहा था। उसका चेहरा व गला लाल हो रखा था, उसने मुझे बताया कि स्वीफ्ट कार में सवार इन तीनो व्यक्तियों ने मेरे गले में कपडे का फंदा बनाकर गला घोटा उसकी वर्दी फटी हुई थी नेम प्लेट टूट गई थी। मौके पर चीता नोबाइल, टेफिक इन्सपेक्टर एक व दो तथा अन्य फोर्स मौके पर आ गई थी। मैं उसके बाद वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया था।'

14. अभियोजन साक्षी संख्या 4 श्री विपिन खण्डूरी, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' अगस्त 2015 को शाम 8:00 बजे की घटना है। मैं अपने दोस्त विनय भास्कर के साथ राजपुर रोड़ गया था। राजपुर रोड़ पर सर्वे ऑफ इंडिया का गेट है उसके सामने रेस्टोरेन्ट में अपने दोस्त के साथ खडा था। तभी उपर मसूरी की तरफ से एक सफेद रंग की स्वीफट कार जो कि दिल्ली के नं० की थी। जिसको उसका ढाइवर बडी तेजी व लापरवाही से चला रहा था आकर रूकी। उसमें से एक लडका उतरा और बीच सडक पर खुले आम पेशाब करने लगा। वह लडका बहुत ज्यादा नशे में था। हमे लगा कि नशे में होने के कारण यह किसी अन्य गाडी में टक्कर मार सकते हैं। इसलिए मैंने अपने मोबाइल से 100 नं० पर फोन किया था। इसके बाद वह गाडी तेजी से दिलाराम चौक की तरफ चली गई थी। ''

15. अभियोजन साक्षी संख्या 5 उपनिरीक्षक जगदीश कुमार रतूड़ी, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –

'' दिनांक 07.08.2015 समय लगभग 8.35 रात्रि की घटना है। मैं अपने कार्यालय से ड्यूटी समाप्त कर अपने घर जा रहा था। जब मैं यूकेलिप्टिस चौक पहुंचा तो वहां जाम लगा था। मैंने जाम लगने का कारण पता करा तो मालूम हुआ कि कुछ लोग ट्रैफिक कों के

साथ यूकेलिप्टिस चौक पर झगड रहे थे और उनकी गाडी व झगडे के कारण वहां पर जाम लगा हुआ था। मैं जब मौके पर पहुंचा तो देखा की तीन लडके जो कि शराब पीये हुए लग रहे थे, ट्रैफिक कॉ० के साथ हाथापाई कर रहे थे। पब्लिक के लोग भी मौके पर मौजूद थे। मेरे से पहले पब्लिक के लोग तीनों व्यक्तियों से ट्रैफिक कॉ० को मारपीट से छुडाने के लिए बीच बचाव कर रहे थे। मैंने भी बीच बचाव किया, तीनो कार सवार व्यक्ति ट्रैफिक कॉ० से काफी गाली गलौच कर रहे थे। बडी मुश्किल से ट्रैफिक कॉ० को इन तीनों व्यक्तियों से छुड़ाकर अलग किया गया। मैंने मौके से 100 नं० पर फोन किया था। तीनो लडको की कार को जो कि सफेद रंग की स्वीफट थी, मैंने की चलाकर ई०सी० रोड़ सचिवालय रोड की तरफ यूकेलिप्टिस चौक से लगभग 10 मीटर हटाकर खड़ा किया था। जिससे कि राजपुर रोड पर ट्रैफिक का जाम न लगे और ट्रैफिक अपनी सामान्य गति से चलता रहे। राजपुर रोड पर ट्रैफिक तुरन्त ही सामान्य हो गया था। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस वाले तीनों कार सवार व्यक्तियों व ट्रैफिक कॉ० को भी मौके से सचिवालय रोड की तरफ ले गए थे। ट्रैफिक कॉ० को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ काफी मारपीट की हो, उसने बड़ी मुश्किल से बोल बोलकर बताया कि तीनो कार सवार व्यक्तियों ने उसे गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया। ट्रैफिक कॉ० की वर्दी फटी हुई थी। मौके पर पुलिस आ गई थी मैं भी अपने घर चला गया था।''

16. अभियोजन साक्षी संख्या 6 श्री विमल चन्द टम्टा, निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

'' दिनांक 07.08.2015 को मैं यातायात निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन समय करीब 8.15 से 8.30 बजे के मध्य कंट्रोल रूप से सूचना मिली कि यूकेलिप्टिस तिराहे के पास कुछ कार में सवार लड़के वहां पर डयूटी पर तैनात कान्सटेबल धमेन्द्र के साथ मारपीट कर रहे है, तत्काल मौके पर पहुंचें। इस सूचना पर मैं भी यूके

लिपटिस तिराहे पर पहुंचा, तो वहां पर कांसटेबल धमेन्द्र को बूरी तरह से मार–पीट रखा था। वहां पर चीता पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे और स्वीफट कार सवार तीन लड़के जो कि नशें की हालत में लग रहे थे, वहां पर मौजूद थे उन्हें लोगों ने घेर रखा था, कांसटेबल धमेंद्र ने बताया कि उन तीनों लडकों ने उसके साथ मारपीट की है और मफलर से उसका गला दबाने का प्रयास किया है। इसके बाद मैं तथा अन्य पुलिस कर्मचारीगण तीनों लड़कों को पकड़कर थाने ले लये। मेरे द्वारा अभियुक्त तीनों लड़कों का गिरफ्तारी मैमो घटना स्थल पर बनाया गया था। थाने पर कांसटेबल धमेंद्र ने मुकदमा लिखवाया था। गिरफ्तारी मैमो अभियुक्तगण पत्रावली पर कागज संख्या 8क/1 लगायत 8क/3 है। जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिन पर कमांशः प्रदर्श पी–2, प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–4 डाला गया।''

17. अभियोजन साक्षी संख्या 7 कां0 संजय सिंह, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि–

*''' मैं दिनांक 07.08.2015 को थाना डालनवाला में कॉस्टेबल कलर्क के पद पर नियुक्त था। उस दिन मेरे द्वारा वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 179/15 धारा 307, 332, 353, 504, 506 आई. पी.सी. बनाम दीपक आदि पंजीकृत कर चिक एफ.आई.आर. संख्या 70/15 किता की थी, तथा चिक की पुष्ट पर तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित की थी। इसका खुलासा मेरे द्वारा जीडी नम्बर 40/21.40 दिनांकित 07/08/15 पर किया था जो कि मूल की हू बहू छायाप्रति है, तथा एक ही प्रोसेस में तैयार की गयी थी। चिक एफ.आई.आर. पत्रावली पर कागज संख्या 3क/1 के रूप में संलग्न है जिस पर गवाह ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की। चिक पर **प्रदर्श पी–5** डाला गया। नकल जीडी पत्रावली पर कागज संख्या 9क/2 के रूप में संलग्न है। जिसकी मूल लेकर मैं आज न्यायालय में उपस्थित हूं। कागज संख्या 9क/2 मूल जीडी की हूबहू सत्यापित छायाप्रति है। गवाह ने कागज संख्या 9क/2 पर अपने*

हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर ***प्रदर्श पी–6*** *डाला गया।''*

18. अभियोजन साक्षी संख्या 8 डा. जगदीश जोशी, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –

'' मैं दिनांक 08.08.2015 को कॉरोनेशन हॉस्पिटल मे ई०एम०ओ० के पद पर नियुक्त था। उस दिन मेरे द्वारा समय 12:50 ए.एम. पर चुटेल धमेन्द्र, उम्र 35 वर्ष पुरुष, पुत्र स्व० पृथ्वी सिंह, निवासी रिस्पना नगर देहरादून की चोटों का मुआयना किया था। चुटेल को कॉस्टेबल मुकेश कुमार लेकर आये थे।

चुटेल के शरीर का मुआयना करने के उपरांत निम्न चोटें पायी गयी थी।

(1) कन्ट्यूजन 16 गुणा 1 सेन्टी मीटर छाती के दांहिनी ओर जोकि लेफ्ट साईड ऑफ राईट क्लेबिकल से 6 इन्टर कॉस्टल स्पेस तक थी।

(2) कन्ट्यूजन 10 गुणा 1 सेन्टी मीटर छाती के बांयी ओर जोकि राईट साईड ऑफ लेफ्ट क्लेबिकल से 5 इन्टर कॉस्टल स्पेस तक थी मल्टिपल कन्ट्यूजन 10 गुणा 1 सेन्टी मीटर, 10 गुणा 3 सेमी. छाती के अगले भाग पर थी। जोकि दूसरे निप्पल के नीचे की ओर थी। चुटेल के द्वारा बांये टांग मे दर्द होना बताया गया था और उसे छूने पर दर्दमहसूस कर रहा था। मेरी राय मे उपरोक्त सभी चोटें ताजा थी और पांच से छः घण्टे में आना संभव थी। *गवाह के द्वारा कागज संख्या 7 क/1 एम०एल०सी० नम्बर 4904 दिनांकित 08.08.2015 समय 12:50 ए.एम. पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की गयी। उक्त एम०एल०सी० की प्रति मेल के माध्यम से मुझे गवाह को उपलब्ध करवायी गयी थी। मेरे द्वारा एम०एल०सी० अपने हस्तलेख मे तैयार करने के उपरांत उस पर चुटेल के बांये अंगूठे का निशान लिया गया था। एम०एल०सी० पर* ***प्रदर्श पी–7*** *अंकित किया गया।'*

19. अभियोजन साक्षी संख्या 9 निरीक्षक कमला कुमार लुन्ठी, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –

*'' दिनांक 14.09.2015 को मैं थाना डालनवाला पर एस०एस०आई० के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे द्वारा पूर्व विवेचक के स्थानान्तरण के कारण मुकदमा अपराध संख्या 179/15 बनाम दीपक शर्मा आदि की विवेचना एस०एच०ओ० महोदय के आदेशानुसार ग्रहण की थी। दिनांक 25.09.2015 को मेरे द्वारा पूर्व विवेचक सुरेन्द्र सिंह के बयान दर्ज किये गये एवं वर्दी व नेम प्लेट कब्जे लेने के गवाह फर्द एच०सी० मनवीर सिंह के बयान अंकित किये गये। तत्पश्चात तमामी विवेचना से अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा के विरूद्ध धारा 332, 353, 504, 506 व 307 आई०पी०सी० के तहत आरोप पत्र संख्या 112/15 माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया। उक्त आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 4क के रूप में संलग्न है। जिस पर गवाह ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पहचान की। जिस पर **प्रदर्श पी–8/पी०डब्ल्यू०–09** अंकित किया गया।''*

20. अभियोजन साक्षी संख्या 10 एस0 आई0 सुरेन्द्र सिंह, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –

'' दिनांक 08.8.2015 को मैं थाना डालनवाला में उपनिरिक्षक के पद पर नियुक्त था। उस दिन मुझे मुकदमा अपराध संख्या 179/2015 धारा 332, 353, 504, 506 एवं 307 आई०पी०सी० बनाम दीपक शर्मा आदि की विवेचना प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा नकल चिक प्रपत्र का अवलोकन कर उसका इन्द्राज केस डायरी में किया था। उसी दिन मेरे द्वारा पीड़ित धर्मेन्द्र का मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर उसका इन्द्राज केस डायरी में किया था। तथा एफ०आई०आर० लेखक कॉ० संजय सिंह वादी/पीड़ित कॉ० धर्मेन्द्र तथा तीनों अभियुक्तगण के बयान केस डायरी में अंकित किये थे तथा घटना के समय वादी/पीड़ित के द्वारा पहनी गयी सफेद वर्दी की शर्ट जिसमें टूटी हुई नेम प्लेट लगी थी एवं

जेब फटी हुई थी तथा सामने के बटन टूटे हुये थे। कब्जे पुलिस में लेकर फर्द बाबत लेने कब्जा वादी की शर्ट मौके पर ही तैयार की थी। उक्त फर्द कागज सं० 6क/1 के रूप में संलग्न है। जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। गवाह के हस्ताक्षर को लाल रंग के घेरे मे मार्क–बी से चिन्हित किया गया। जिस पर ***प्रदर्श पी–9/पी० डब्ल्यू0–10*** *अंकित किया गया।* उसी दिन मैंने वादी/पीड़ित की निशानदेही पर घटना स्थल से एक नीले रंग की टी–शर्ट कब्जे में ली थी। कब्जे पुलिस में लेकर फर्द बाबत लेने कब्जा टी–शर्ट सम्बन्धित मुकदमा वाद सं० 179/15 मौके पर ही तैयार की थी। उक्त फर्द कागज सं0 16क/2 के रूप में संलग्न है। जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। गवाह के हस्ताक्षर को लाल रंग के घेरे में मार्क–बी से चिन्हित किया गया। जिस पर **प्रदर्श पी0–10/पी० डब्ल्यू–10** अंकित किया गया। दिनांक 10.8.2015 को मेरे द्वारा निरीक्षक, यातायात विमल टम्टा, होमगार्ड विनोद कुमार, पुलिस कॉस्टेबल आशीष गैरोला, कॉ० अजय कुमार के बयान केस डायरी में अंकित किये गये थे तथा वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर से तैयार किया था जो कि पत्रावली पर कागज सं0 5 क के रूप में संलग्न है। जिस पर गवाह ने अपने हस्तलेख एवं हस्ताक्षर की पहचान की। जिस पर **प्रदर्श पी0–11/पी० डब्ल्यू–10** अंकित किया गया। दिनांक 12.8.2015 को मेरे द्वारा गवाही कॉ० विनोद शाह, वायरलेस ऑपरेटर, टैफिक कन्ट्रोल रूम तथा गवाह के द्वारा घटना से सम्बन्धित लॉग बुक की छाया प्रति मुझे सौंपी गयी जो कि पत्रावली पर कागज सं० 9क/3 के रूप में संलग्न है। उसी दिन मेरे द्वारा सी०टी० कन्ट्रोल रूम प्रभारी एस० आई० अनीता से 100 नम्बर पर दर्ज घटना से सम्बन्धित सूचना की डिटेल प्राप्त की गयी। जो कि पत्रावली पर कागज सं० 10क/5 व 10क/6 के रूप में संलग्न है। दिनांक 14.8.2015 को मैने गवाह कॉ० रामकिशोर, कॉ० आशा लाल, कॉ० मासन्तू सिंह, कॉ० प्रेम दोरियाल एवं कॉ० मुकेश

कुमार के बयान केस डायरी में अंकित किये। उसी दिन मेरे द्वारा कन्ट्रोल रूम को टेलिफोनिक सूचना मिलने वाले व्यक्ति गवाह विपिन खण्डूरी तथा गवाह विनय भास्कर तथा उप निरिक्षक जगदीश रतूड़ी के बयान केस डायरी में अंकित किये गये हैं। माल पुलिन्दा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है जो कि सील बन्द अवस्था में है। नमूना मोहर से सील का मिलान किया गया। पुलिन्दे की सील सही पायी गयी। पुलिन्दे पर **वस्तु प्रदर्श –1** पूर्व में अंकित है। गवाह के द्वारा पुलिन्दे पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गयी। गवाह के हस्ताक्षर को लाल रंग के घेरे मे मार्क–बी से चिन्हित किया गया। माल पुलिन्दा खोलने पर उसके अन्दर से यातायात वर्दी की एक सफेद रंग की शर्ट निकली जिसको देखकर गवाह के द्वारा बताया गया कि यह वही शर्ट है जो मेरे द्वारा पीड़ित/वादी से कब्जे पुलिस में लेकर मौके पर ही सील की गयी थी। जिस पर पूर्व में **वस्तु प्रदर्श–2** अंकित है। वर्दी पर एक टूटी हुई नेम प्लेट लगी है जिस पर पूर्व में **वस्तु प्रदर्श–3** अंकित है। माल पुलिन्दा टी–शर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है जिस पर पूर्व में **वस्तु प्रदर्श–4** अंकित है। गवाह के द्वारा पुलिन्दे पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की गयी। गवाह के हस्ताक्षर को लाल रंग के घेरे में मार्क–बी से चिन्हित किया गया। माल पुलिन्दा खोलने पर उसके अन्दर से एक नीले रंग की हॉफ टी शर्ट निकली जिसको देखकर गवाह के द्वारा बताया गया कि यह वही नीले रंग की हॉफ टी शर्ट है जो मेरे द्वारा पीडित/वादी की निशानदेही पर घटना स्थल से कब्जे पुलिस में लेकर मौके पर ही सील की गयी थी। जिस पर पूर्व में टी–शर्ट पर **वस्तु प्रदर्श–5** अंकित है तथा नमूना मोहर पर **वस्तु प्रदर्श एम०ओ०–6** अंकित किया गया।

21. अभियोजन साक्षी संख्या 11 उपनिरीक्षक डी0पी0 सिंह, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि –

'' *मेरे कार्यालय को माननीय न्यायालय से 1– मासिक टी०एफ०सी० सी०सी०आर० देहरादून का दिनांक 07.08.2015 से 20:08 से 23:30 समय की मूल लॉग बुक तथा उसी दिन का 100 नम्बर केड इन्सिडेन्ट*

रिपोर्ट समय 7:45 पी०एम० से 8:45 पी०एम० तक की सूचना जो कि मोबाईल नम्बर 9927688554 पर दी गयी थी, से संबंधित मूल दस्तावेज पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में मैं आज न्यायालय में उपस्थित हुआ हूं। हमारे कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त दस्तावेज ऑडर नम्बर डब्ल्यू 1 दिनांकित 03.07.1963 के अनुपालन मे दिनांक 25. 02.2022 को विनिष्ट किये जा चूके है। जिसके संबंध में मैं अपर पुलिस अधिक्षक, पुलिस दूरसंचार देहरादून द्वारा जारी मूल पत्र दिनांकित 25.02.2022 लेकर आया हूं, जिसकी फोटोप्रति मैं अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर दाखिल कर रहा हूं। जिस पर ***प्रदर्श पी०–12/पी० डब्ल्यू–11*** *अंकित किया गया।''*

अभियोजन के तर्क

22. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में तर्क देते हुये विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया है कि दिनांक 07.08.2015 को शाम करीब 8:30 बजे अभियुक्तगण के द्वारा युकेलिप्टिस चौक पर अपनी स्वीफ्ट कार सं0 D.L 12CH 5629 को तेजी से लेकर आए और वादी मुकदमा कां0 धर्मेन्द्र कुमार जिसकी डयूटी दिलाराम चौक पर थी, के द्वारा रोकने पर अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा पर कार चढ़ाने का प्रयास किया।अभियुक्तगण में से एक ने एक ने नीचे उतर कर वादी को लात–घुसे मारने शुरू कर दिये और अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के गले में कपड़ा डालकर दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया। अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के साथ मारपीट की व उसे जान से मारने की धमकी दी तथा उसके द्वारा किए जा रहे सरकारी कर्तव्यों मे बाधा उत्पन्न की। इस संबंध में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार से साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 332, 353, 504, 506 के अंतर्गत आरोप पूर्णतः सिद्ध होता है तथा अभियुक्तगण इस आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष के तर्क

23. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332, 353, 504, 506, 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गाड़ी को बिना वजह रोक कर उनसे पैसे मांगे जा रहे थे जब अभियुक्तगण ने पैसे देने से मना कर दिया तब अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जैसा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है, कोई घटना नहीं हुई। यदि घटना होती तो सी0सी0टी0वी0 फुटेज न्यायालय में प्रस्तुत की जाती । विवेचक ने अपने बयान मे कहा है कि उसने कोई चोट नहीं देखी थी। पी0 डब्लू0 11 ने जिरह मे कहा है कि प्रदर्श पी–12 सी0सी0आर0 में सूचना के संबंध मे कोई विवरण अंकित नहीं है। घटनास्थल के आस पास के सी सी टी वी फुटेज विवेचक द्वारा नहीं ली गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्दी फाड़ने की बात नहीं लिखी है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उनके सामने मारपीटाई नहीं हुई। सभी साक्षीगण पुलिस कर्मचारी हैं। घटनास्थल पर यदि काफी भीड़ इकटठी हो गई थी तो स्वतंत्र साक्षी क्यों नहीं लिया गया । अभियुक्तगण को पुलिस ने थाने मे लाकर काफी पीटा है। विवेचक ने जिरह मे स्वीकार किया है कि उसने व्यक्तिगत रूप से पीड़ित धर्मेन्द्र की कोई चोट नहीं देखी। वादी की बहल चौक पर डयूटी थी इस संबंध मे कोई जी0डी0 प्रस्तुत नहीं की गई न ही साबित कराई गई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों द्वारा अभियोजन अपनी कहानी को सन्देह से परे सिद्व करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपो से दोषमुक्त किया जाए।

24. सर्व प्रथम अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 332, 353, 504, 506, 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप के संदर्भ में विश्लेषण किया जाना है जिसके लिए उक्त धाराओं का उल्लेख किया जाना न्यायोचित है–

धारा 307 भारतीय दंड संहिता, हत्या करने का प्रयत्न– जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होग, जैसा एतस्मिन–पूर्व वर्णित है।

धारा 332 भारतीय दंड संहिता, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना– जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय वह जब वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन, अथवा लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने वाली किसी बात के परिणाम से निवारित या भयोपरत कर स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक दंड, या दोनो से दंडित किया जाएगा।

धारा 353 भारतीय दंड संहिता, लोक सेवक की अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग– जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत कर या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन मे की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दंडित किया जाएगा।

धारा 504 भारतीय दंड संहिता, लोकशांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दंडित किया जायेगा।

धारा 506 भारतीय दंड संहिता, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड – जो कोई अपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारवास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दंडित किया जायेगा।

25. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु :–

1 क्या अभियुक्तगणो द्वारा दिनांक 07.08.2015 को अपने सामान्य आशय की पूर्ती में पुलिसकर्मी का0 धर्मेन्द्र के साथ मारपीट कर वर्दी फाडी गयी

2. क्या अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 07.08.2015 को कां0 धर्मेन्द्र का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया।

3. क्या अभियुक्तगणों द्वारा विधि विरूद्ध दबाव बनाकर लोक सेवक को कर्तव्य से रोका गया।

4. क्या अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी के साथ मारपीट की गई तथा वादी को जान से मारने की धमकी दी गई।

26. इस संबंध में **वादी मुकदमा कां0 धर्मेन्द्र कुमार, को अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–1** के रूप में न्यायालय मे समक्ष साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। जिसने मुख्य परीक्षा में शिकायत के कथनों का समर्थन किया है।

प्रतिपरीक्षा मे इस साक्षी ने बताया है कि '' यह बात सही है कि दिलाराम चौक से कैंट को जाने वाली सड़क वी०आई०पी० सड़क है। यह बात सही है कि बहल चौक से पहले राजपुर रोड़ पर डिवाइडर था और

बहल चौक से आगे घंटाघर की तरफ सड़क के बीचोंबीच डिवाइडर बने हैं। उस दिन डिवाइडर के दोनों तरफ सडक पर मध्यम ट्रैफिक था। जैसे ही गाड़ी बहल चौक पर आयी मैने गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दिया और बोनट पर हाथ मारा। उस समय उस गाडी के पीछे अन्य गाड़िया भी आ रही थी। उस समय उस गाड़ी के आगे कोई गाड़ी नही थी। जब मैने गाड़ी की बोनट पर हाथ मारा तो उन्होंने गाडी नहीं रोकी। मैं पीछे हट गया और चिल्लाया। गाडी में बैठे लोगो ने कहा हट जा नही तो तुझे उड़ा देगें और उन्होंने गाडी वही रोक दी। जो उस गाड़ी के पीछे की गाड़िया थी वह भी रूक गयी थी। मैने उन लड़को को गाडी हटाने को कहा उन्होंने गाड़ी नहीं हटायी जिस कारण पीछे जाम लग गया था।'' ..... जाम लगने के बाद मैने लड़को को गाड़ी हटाने को कहा लेकिन उन्होने नही हटायी। फिर मैंने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि मैने गाड़ी रोक ली है। इतने में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की तथा गाली गलौच की। मेरे साथ लगभग 10–15 मिनट तक मारपीट की गयी। इस 10–15 के बीच भीड में से कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। बाद में भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। कंट्रोल रूम सूचना देने के बाद 15–20 मिनट पर मौके पर चीता मोबाइल, हॉक मोबाइल और टी०आई० साहब मौके पर आ गये। ..... बहल चौक से तीनों लडको को लेकर थाना डालनवाला साढ़े 9 बजे आ गये थे। मारपीट में मेरा खून निकला था और गला दबाने से मेरे गले में निशान पड़ गये थे और मेरे गले में हल्की सूजन आ गयी थी। मैंने अस्पताल में डाक्टर को सारी चोटे दिखा दी थी। ..... मेरे शरीर पर चोट का कोई जाहिरा निशान नही था। ..... ट्रैफिक जाम साढ़े 9 बजे के आसपास खुल गया था। यह बात सही है कि दिलराम चौक पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। बहल चौक पर सीसीटीवी है या नही, मुझे ध्यान नही। मेरे कपड़ों में कोई खून नहीं लगा था। बहल चौक पर गाडी का कोई चालान नही काटा गया। जिस टी शर्ट से मेरा गला दबाया था वह फट गयी थी या नही मुझे नहीं पता। .....टी शर्ट भी दिनांक 07.08.15 को बहल चौक से कब्जे में लें ली थी। स्वयं कहा

कि टी शर्ट अगले दिन मिली थी। .....यह बात सही है कि तीनों लड़को को बहल चौक पर ही गिरफतार कर लिया गया था।

27. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–2 कां0 विनोद शाह**, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि '' उस दिन 20:08 बजे सूचना आई थी 4–5 लोग बदतमीजी कर रहे हैं और 20:18 बजे सूचना आई थी कि उन लोगो को थाने ले गए हैं।'' ..... यह बात सही है कि हमे सूचना मे यह नहीं बताया था कि किसके साथ बदतमीजी व हाथापाई की जा रही है।

28. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–3 कां0 आशा लाल,** ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मैंने दिलाराम चौक पर बैरियर लगाया था, कार ने बैरियर को टक्कर नहीं मारी थी। जिस समय कार ने दिलाराम चौक पर यूटर्न मारा उस समय बहल चौक की तरफ से राजपुर की तरफ और भी गाडिया जा रही थी। ..... मैं बहल चौक पर सवा आठ बजे पहुंच गया था। जब मैं सवा आठ बजे बहल चौक पर पहुंचा तब तक धर्मेन्द्र के साथ मारपीट हो चुकी थी और वह साइड में बैठा था, कांप रहा था, बडी मुश्किल से बोल पा रहा था। मेरे सामने धर्मेन्द्र के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। .....मैने धर्मेन्द्र के गले मे कोई कपड़ा लिपटा हुआ नहीं देखा, धर्मेन्द्र की कमीज के बटन टुटे हुए थे, कंधे का फलैप टूटा हुआ था और नेम पलेट टूटी हुई थी।

29. अभियोजन **साक्षी पी0डब्लू0–4 विपिन खंडूरी** ने प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि..... जो लडका गाडी से उतर कर सडक पर पेशाब कर रहा था उसे मैं नहीं पहचान सकता। गाडी कितने लोग बैठे थे मैं यह भी नहीं बता सकता। गाडी का नम्बर मुझे इस समय याद नहीं है। गाडी का रंग सफेद था। यह बात लगभग रात्रि 8.00 बजे की है। उस समय हम सर्वे गेट के सामने सूप बार के पास खड़े थे। दिलाराम चौक से सर्वे गेट लगभग डेढ दो कि०मी० की दूरी पर राजपुर की तरफ है।..... हमारे सामने उस कार ने किसी को टक्कर नहीं मारी। हमारे सामने उस समय पुलिस भी नहीं आई थी। हम रात्रि पोने 9 बजे के करीब दिलाराम चौक की तरफ आ गए थे और राजपुर से घंटाघर होते हुए अपने घर बल्लूपुर चौक चले गए।

पोने 9 बजे के लगभग ही हम बहल चौक पर पहुंच गए थे वहां पर हमने किसी प्रकार की कोई भीड नहीं देखी। हमने ध्यान नहीं दिया कि बहल चौक पर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद था या नहीं। ..... न ही हमने पोने 9 बजे के लगभग बहल चौक पर कोई पुलिस फोर्स देखी। और न ही हमने रात्रि पोने 9 बजे बहल चौक पर झगडा होते देखा। न ही हमने बहल चौक पर उस कार वाले लडके को देखा।

30. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–5** ने प्रतिपरीक्षा मे कथन किया है कि, '' दिनांक 07.08.2015 को मेरी ड्यूटी राजभवन में थी। ..... मुझे जानकारी नहीं है कि दिलाराम चौक पर उस समय सी०सी०टी०वी० कैमरा था या नहीं। मैं कार का नम्बर नही बता सकता। यह बात सही है कि राजपुर रोड पर ट्रैफिक चलता रहता है। यह बात सही है कि दिनांक 07.08. 2015 को बहल चौक से लेकर दिलाराम चौक के करीब तक ट्रैफिक जाम था। मैंने अपने मो0नं0 9412950532 से कन्ट्रोल रूम को सूचना दी थी। यह बात सही है कि जो भी सूचना कन्ट्रोल रूम को आती है उसकी एन्ट्री कन्ट्रोल रूम की लॉग बुक में की जाती है। यह बात सही है कि राजपुर रोड और कैन्ट रोड वी०आई०पी० रोड होने के कारण दिलाराम चौक पर 24 घंटे पुलिसकर्मियों की डयूटी रहती है। यह बात सही है कि बहल चौक से लेकर दिलाराम चौक तक रोड की बीचो बीच डिवाईडर था। यह बात भी सही है कि यदि बहल चौक से घंटाघर की तरफ आए तो रोड के बीचो बीच डिवाईडर है। मेरी जानकारी में नहीं है कि उक्त कार का मौके पर कोई चलान किया गया है या नहीं। जिस समय मैं बहल चौक पहुंचा उस समय बहल चौक पर काफी भीड इक्टठा थी। मैं बहल चौक पर लगभग 10 मिनट रूका हूंगा।..... कार मैंने चलाकर यूकेलिप्टिस चौक पर खडी की थी। जिस समय में बहल चौक पहुंचा तो उस समय कार बहल चौक से थोडा पहले दिलाराम चौक की तरफ खडी थी। लडके कॉ० को बहल चौक पर मारपीट कर रहे थे। जनता के लोग बीच बचाव कर रहे थे। ..... कॉ० के चेहरे पर गुम चोटो के निशान थे। उसके चेहरे से खून निकल रहा था या नहीं मुझे अभी ध्यान नहीं। मैंने बहल चौक पर सडक

पर कोई टीशर्ट पडी हुई नहीं देखी। ..... मेरी जानकारी में यह नहीं आया कि उक्त कार ने किसी गाडी को कोई टक्कर मारी। मैंने बहल चौक पहुंचे के पांच सात मिनट बाद कन्ट्रोल रूम में सूचना दी थी। जब तक मैं बहल चौक पर रहा तब तक तीनों लडके व कॉ० मौके पर ही थे।.....मैंने कॉ० के चेहरे के अलावा कोई चोट नहीं देखी। जब तक मैं बहल चौक पर रहा उसी दौरान मौके पर ओर फोर्स आ गई थी। मैं नहीं बता कि मौके पर कौन से थाने की फोर्स आई थी। उस दिन रात के पोने नौ बजे के लगभग टैफिक खुल गया था और यातायात सामान्य हो गया था।..... ।''

31. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 6 श्री विमल चन्द टम्टा** ने भी प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि ''..... मै सूचना पर घटनास्थल पर 8:30 के लगभग पहुंच गया था। धर्मेन्द्र उस समय बड़ी मुश्किल से बातचीत कर रहा था। उसके शरीर पर चोटे थी। मुझे ध्यान नहीं कि कहां कहां पर चोटें थी।..... मेरे सामने कां0 धर्मेन्द्र के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। ''

32. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 7 कां0 संजय सिंह** न ने भी प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि '' .....मुझे जानकारी नहीं है कि कां0 धर्मेन्द्र के शरीर मे चोटे थी या नहीं। यदि कां0 धर्मेन्द्र की वर्दी फटी हुई होती तो उसका इन्द्राज जी डी मे होता। यह बात सही है कि धर्मेन्द्र की चोटों तथा उसकी वर्दी फटी होने तथा नेम प्लेट टीटी होने का इन्द्राज प्रदर्श पी–6 मे नहीं है। प्रदर्श पी–6 में कॉस्टेबल धर्मेन्द्र द्वारा वर्दी की कमीज व नेम प्लेट थाने पर दाखिल किये जाने का कोई इन्द्राज नहीं है। अभियुक्तगण के शरीर पर कोई चोट नही थी इसलिए इस बात की इन्द्राज प्रदर्श पी–6 में नहीं है। यदि कॉस्टेबल धर्मेन्द्र के शरीर में कोई चोट होती तो इस बात का इन्द्रा प्रदर्श पी–6 में होता। ..... कार का चालान किया गया था। ..... प्रदर्श पी–6 मे इस बात का भी जिक्र नहीं है कि घटना की सूचना कंट्रोल रूम द्वारा कितने बजे दी गई हो।.....''

33. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 8 डा0 जगदीश जोशी** ने घटना वाले दिन कोरोनेशन अस्पताल में कां0 धर्मेन्द्र की चोटो का मुआयना किया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि '' यह बात सही है कि चुटेल के गले में कोई चोट या रगड़ का निशान या कोई सूजन नही थी। अगर चुटेल के गर्दन मे कोई चोट रगड़ या सूजन होती तो हम मेडिकल मे जरूर लिखते। .....हमने चुटेल को भर्ती होने की राय दी थी लेकिन वह भर्ती नही हुआ और न ही चुटेल मेरे पास दुबारा ईलाज के लिए आया। ..... चोट नम्बर एक, दो व तीन किसी कुंद वस्तु से आना संभव है। यह चोटें मुक्का, लात, घुस्से मारने से नही आ सकती है। चुटेल की कंडिशन स्टेबल थी। उसका बी०पी० व पल्स रेट नॉरमल थी। चुटेल के हाथ, पैर कोई चोट के निशान नही थे। ..... '' यहां यह उल्लेखनीय है कि साक्षी द्वारा किसी भी चोट को गम्भीर नहीं बताया गया।

34. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 9 निरीक्षक कमल कुमार लुन्ठी,** इस मामले के विवेचक हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा मे बताया है कि '' ..... मुझे ध्यान नहीं है कि अभियुक्तगण की कार का एम०वी० एक्ट के तहत चालान किया था या नही। घाटना वाले दिन में थाना डालनवाला में तैनात था।.....''

35. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 10 एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह,** ने प्रतिपरीक्षा मे बताया है कि ''..... यह बात सही है कि पीड़ित कॉ० धर्मेन्द पहली बार दिनांक 08.8.2015 की सुबह थाने पर मिला था। यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई चुटैल थाने में आए तो उसकी चोटों का विवरण पूर्णतः जी0डी0 में अंकित किया जाता हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से पीड़ित धर्मेंद्र की चोटें नहीं देखी ओर मैंने मेडिकल को छोड़कर उसकी चोंटो का विवरण केस डायरी में अंकित नहीं किया। ..... पीड़ित की कमीज कब्जे मे ली थी तो उसमे किसी भी प्रकार के खून के निशान नहीं थे और न ही टी सर्ट मे थे। जो टी शर्ट मैने कब्जे मे ली थी वह फटी हुई नहीं थी।..... प्रदर्श पी–6 मे अभियुक्तगण के शरीर के चोटों का कोई विवरण नहीं है। ''

36. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 11 उपनिरीक्षक डी0पी0 सिंह,** ने प्रतिपरीक्षा मे बताया है कि ''..... प्रदर्श पी–12 मे दिनांक 07.08.2015 को सी0सी0आर0 मे आयी सूचना के संबंध मे कोई विवरण अंकित नहीं है।–

37. यह विधि का सुस्थापित सिद्वांत है कि न्यायालय को साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक साक्ष्य को पृथक से देखने के साथ साथ समस्त साक्ष्यों के संयुक्त प्रभाव पर विचार करना चाहिए। यह भार अभियोजन पर है कि वह धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अपराध को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करें। धारा 307 भारतीय दंड संहिता, (हत्या का प्रयास) के अपराध को सिद्ध करने के लिए उसकी आवश्यक तत्वो को सिद्ध करने आवश्यक है धारा 307 भारतीय दंण्ड संहिता के लिए उसके आवश्यक तत्व हैं (क) अभियुक्त का आशय या ज्ञान की उसके कार्य से मृत्यु हो सकती है। (ख) उस आशय से किया गया कार्य (ग) चोटें ऐसी हो जो साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित कर सके। न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन धारा 307 भा0 दं0 सं0 के अपराध के आवश्यक तत्वों को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाया है।

38. माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने न्याय निर्णय **रोशन लाल बनाम हरियाणा राज्य 2026 आई0एन0एस0सी0 524 दिनांक 22.05.2026** में यह अवधारित किया कि जान से मारने के ईरादे के प्रमाण के बिना, चोट की गंभीरता हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के पर्याप्त नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने कई न्याय निर्णयों में अवधारित किया है कि धारा 307 भा0दं0सं0 के लिए चोटों का जानलेवा होना आवश्यक है, साधारण contusion से धारा 307 भा0दं0सं0 का अपराध नहीं सिद्ध होता है। उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय **स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम सैलम 2005** में यह अवधारित किया गया कि गले पर निशान के बिना गला घोंटने का प्रयास सिद्ध नहीं होता है।

39. जहां तक अभियुक्तगणों द्वारा वादी को पहुंचायी हुयी चोटों का प्रश्न है उस परिस्थिति में पी0डब्लू 8 डॉक्टर के चोटों के संबन्ध में बयान महत्वपूर्ण

है। पी0डब्लू 8 डॉक्टर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा नंबर 04 में स्पष्ट रूप से कथन किये गए (चुटेल की गर्दन मे कोई चोट रगड़ का निशान या सूजन नहीं थी। अगर गला घोटा होता तो सूजन अवश्य लिखते) अर्थात चोटिल के गले पर कोई चोट या रगड के निशान साबित नहीं हुये है। डॉक्टर द्वारा चोटिल के मेडिकल में केवल छाती पर 01 सें0मी0 चौडी नीलगू निशान होना लिखा है जो कि साधारण चोटों में आती है। तहरीर प्रदर्श पी0 6 में अभियुक्त द्वारा चोटिल का गला दबाने का कोई जिक्र नहीं है।

40. पत्रावली पर मौजूद अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि वादी के शरीर पर जो चोटें दिखाई गई हैं उनमे से कोई खून नहीं निकल रहा था। वादी की फटी हुई वर्दी की शर्ट व टी शर्ट पर भी कब्जे मे लेते समय कोई खून नहीं लगा था। पत्रावली पर उपलब्ध वादी के मेडिकल के अवलोकन से विदित होता है कि वादी को जो चोटे दिखाई गई हैं उनमे से खून नहीं निकल रहा था। चिकित्सक पी0 डब्लू 8 ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि चुटैल के गले मे कोई चोट या रगड़ का निशान या कोई सूजन नहीं थी, अगर चुटैल के गर्दन मे कोई चोट रगड़ या सूजन होती तो हम मेडिकल मे जरूर लिखते। इससे यह भी विदित होता है कि चुटैल के गर्दन पर कोई चोट या सूजन नहीं थी। चुटैल के हाथ पैर मे भी कोई चोट के निशान नहीं थे। चिकित्सक ने प्रतिपरीक्षा मे यह भी बताया है कि चुटैल की कंडीशन स्टेबल थी। अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी साक्ष्य दी है कि कां0 धर्मेन्द्र के शरीर से कोई खून नहीं निकल रहा था। चिकित्सक द्वारा किसी भी चोट को ऐसा नहीं बताया है कि उससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। अतः पत्रावली पर मौजूद मौखिक दस्तावेजी एवं चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता का आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

41. अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होने पुलिसकर्मी की वर्दी फाडी एवं नेम प्लेट तोड़ी एवं लोक सेवक को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए अपराधिक बल प्रयोग किया। अब न्यायालय के समक्ष यह

प्रश्न है कि क्या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 332/353 (लोक सेवक पर हमला व वर्दी फाडना) के आरोप सिद्ध किये गए हैं।

42. इस संबन्ध में गवाह पी0 डब्लू 7 एफ0आई0आर0 लेखक द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किये गए ''पुलिस नियमावली तथा एक्ट के मुताबिक जब कोई चोटिल थाने आये तो चोटों का विवरण जी0डी0 में करना आवश्यक है। मुझे जानकारी नही है कि धर्मेन्द्र के शरीर पर चोट थी या नहीं। यदि वर्दी फटी होती तो जी0डी0 में इन्द्राज होता। प्रदर्श पी0 6 में चोटों, वर्दी फटने, नेम प्लेट टूटने को कोई इन्द्राज नहीं है''। गवाह पी0 डब्लू 10 प्रथम विवेचक द्वारा पैरा नंबर 18 में यह कहा गया ''यह सही है कि प्रदर्श पी0 6 में कही जिक्र नहीं है कि जान से मारने की नियत से गला दबाया, ना चोटों का जिक्र है ना वर्दी फाडने का। गवाह द्वारा पैरा नंबर 14 में कहा गया ''वर्दी पर किसी अभियुक्त के खून के निशान नही हैं टी–शर्ट फटी नहीं थी। गवाह ने कथन किये है कि ''धमेन्द्र ने वर्दी दिनांक 07.08.2015 को थाने में जमा नहीं करायी, वर्दी दिनांक 08.08.2015 की दी गयी। प्रदर्श पी0 11 में धर्मेन्द्र के हस्ताक्षर नहीं है। गवाह द्वारा पैरा नंबर में यह भी कथन किये है कि ''अभियुक्त को थाने लाने पर शरीर पर चोट व पहचान चिन्ह जी0डी0 में लिखना अनिवार्य है, पर प्रदर्श पी0 6 में नहीं लिखा है''। गवाह द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि पुलिस मैनुअल के अनुसार वर्दी फटने का इन्द्राज अनिवार्य है। परन्तु चोटिल पुलिसकर्मी धर्मेन्द्र की कथित वर्दी फटने का इन्द्राज जी0डी0 में नहीं किया गया। कथित फटी वर्दी एक दिन बाद ली गयी, जिस पर कोई खून के निशान नहीं थे।

43. अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि वादी ने अभियुक्तगण से गाड़ी रोकने के लिए बोनट पर हाथ मारा परन्तु अभियुक्तगण ने गाड़ी नहीं रोकी। वादी ने यह भी कहा है कि गाड़ी मे बैढ़ लोगो ने कहा हट जा नहीं तो तुझे उड़ा देंगे और उन्होंने गाड़ी वहीं रोक दी। अर्थात गाड़ी वहां रूक गई थी। जिस कारण पीछे जाम लग गई। वादी पी0 डब्लू0 1 ने प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि उसने गाड़ी की चाबी मांगी थी। उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई

थी। तीनो अभियुक्तगण ने अपने 313 दं0प्र0सं0 के बयानो में बताया है कि पुलिस वालो ने उनकी गाड़ी रोकी एवं अवैध पैसो की मांग की। उन्होने अवैध पैसो की मांग पूरी नहीं की इसलिए पुलिस ने मारपीट की एवं झूठा मुकदमा कायम कराया। बहल चौक, राजपुर रोड़ में वी0आई0पी0 का आना जाना बना रहता है तथा वह सड़क एक व्यस्तम सड़क है। परन्तु विवेचक द्वारा घटना स्थल के आस पास के सी सी टी वी कैमरो की फुटेज नहीं ली न ही न्यायालय मे प्रस्तुत की । सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज से स्पष्ट हो जाता कि उस दिन घटनास्थल पर क्या घटना घटी थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से धारा 332 व 353 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धी के लिए आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं होते हैं।

44. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी/पीड़ित पी0 डब्लू0 1 कां0 धर्मेन्द्र से कोई गाली गलौच नहीं की गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्तगण द्वारा उससे गाली गलौच किए जाने का कोई वर्णन नहीं किया गया है। अपनी मुख्य परीक्षा में पी0 डब्लू0 1 ने कहा है कि तीनो लड़के गाड़ी से उतरकर उसके साथ गाली गलौच करने लगे। अभियोजन के अन्य साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच किए जाने के कथन नहीं कहे हैं। इसके विपरीत अभियुक्तगण द्वारा अपने 313 दं0प्र0सं0 के बयानो में यह कहा है कि पुलिस की अवैध पैसो की मांग पूरी न करने के कारण पुलिस ने उनके साथ मारपीट की व उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उस दिन घटनास्थल पर अभियुक्तगण द्वारा कोई लोकशांति भंग करने का प्रयास किया हो। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से धारा 504 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धी के लिए आवश्यक तत्व पूर्ण नहीं होते हैं।

45. पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी नहीं दी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट व पी0

डब्लू0 1 की साक्ष्य में यही कथन किए गए हैं कि अभियुक्तगण ने उसके गले मे कोई कपड़ा डालकर खींचकर/दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी की साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने वादी को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास किया हो । अन्य साक्षीगण ने इस संबंध मे कोई बयान नहीं दिया है। सभी साक्षीगण का यही कथन है कि उन्होंने घटना या मारपीट होते हुए नहीं देखी। अभियोजन द्वारा घटना के किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है जो न्यायालय मे उपस्थित होकर घटना का समर्थन करता। अभियोजन द्वारा जो साक्षीगण परीक्षित कराए गए हैं वह सभी पुलिस कर्मचारीगण हैं व हितबद्ध साक्षी हैं। जिनकी साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 506 भा0दं0सं0 के अपराध के तत्व साबित होता हों। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए सभी तत्व पूर्ण नहीं होते हैं।

46. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो व साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि दिलाराम चौक पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। परन्तु विवेचक द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे मे नहीं ली गई जिससे घटना का होना संदिग्ध प्रतीत होता है। विवेचना की कमी का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान किया जा सकता है। वादी के कपड़ो पर कोई खून नहीं लगा था उसको कोई ऐसी चोट नहीं थी जिससे उसकी हत्या हो सकती। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण की वादी से कोई रंजिश थी जिस कारण वह वादी को मारना चाहते हों। इसके विपरीत अभियुक्तगण द्वारा अपने बयानो मे बताया है कि पुलिस वाले उनसे अवैध पैसे मांग रहे थे जो उन्होंने नहीं दिए जिस कारण उनसे पुलिस वालो ने मारपीट की व झूठा मुकदमा कायम करवाया। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से सम्पूर्ण घटना का समर्थन नहीं होता है।

47. उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य उभरकर नही आया है जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो बल्कि अभियोजन कहानी को

सन्देहास्पद बनाता है। अभियुक्तगण पर उक्त आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होते है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा के विरूद्ध धारा 307 सपठित 34, 332 सपठित 34, 353 सपठित 34, 504 सपठित 34, 506 सपठित 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोपित अपराध के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपो से सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण दीपक शर्मा, अजय शर्मा व आकाश थापा को धारा 307 सपठित 34, 332 सपठित 34, 353 सपठित 34, 504 सपठित 34, 506 सपठित 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ प्रदान करने हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूओं के प्रतिभूपत्र निरस्त कर उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा धारा 437–क दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्र व प्रतिभूति 6 (छः) माह तक प्रवृत्त बने रहेंगे।

यदि अपील दायर होती है तो माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो।

निर्णय की एक प्रति धारा 365 दं0प्र0सं0 की विधि व्यवस्था के अनुरूप जिलाधिकारी, देहरादून को भेजी जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 06.11.2026

(अंजली बेंजवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
देहरादून।

उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 06.11.2026

(अंजली बेंजवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
देहरादून

अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी0डब्ल्यू0 1	कां0 धर्मेन्द्र कुमार	वादी मुकदमा
पी0डब्ल्यू0 2	कां0 विनोद शाह	वायरलैस ऑपरेटर
पी0डब्ल्यू0 3	कां0 आशा लाल	ट्रैफिक कांस्टेबल दिलाराम चौक
पी0डब्ल्यू0 4	श्री विपिन खंडूरी	घटना के साक्षी
पी0डब्ल्यू0 5	उपनिरीक्षक जगदीश कुमार रतूड़ी	घटना के साक्षी
पी0डब्ल्यू0 6	श्री विमल चन्द टम्टा	यातायात निरीक्षक
पी0डब्ल्यू0 7	कां0 संजय सिंह	चिक एफ0आई0आर0 लेखक
पी0डब्ल्यू0 8	डा0 जगदीश जोशी	चुटैल की चोटो का परीक्षण करने वाला चिकित्सक
पी0डब्ल्यू0 9	निरीक्षक कमल कुमार लुन्ठी	विवेचक
पी0डब्ल्यू010	एस0आई0 सुरेन्द्र सिंह	विवेचक
पी0डब्ल्यू011	उपनिरीक्षक डी0पी0 सिंह	कंट्रोल रूम के रिकार्ड से संबंधित गवाह

बचाव साक्षी

शून्य

न्यायालय साक्षी– शून्य

अभियोजन प्रदर्श सूची

क्रम सं0	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	प्रदर्श पी–2	गिरफतारी/सूचना मेमो आकाश थापा

3	प्रदर्श पी–3	गिरफतारी/सूचना मेमो दीपक शर्मा
4	प्रदर्श पी–4	गिरफतारी/सूचना मेमो
5	प्रदर्श पी–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
6	प्रदर्श क–6	फोटो कापी जी0डी0 40/21:40
7	प्रदर्श क–7	मैडिकल श्री धर्मेन्द्र व श्री अजय शर्मा
8	प्रदर्श क–8	आरोपपत्र
9	प्रदर्श क–9	फर्द बरामदगी वर्दी व टूटी नेमप्लेट
10.	प्रदर्श क–10	फर्द बरामदगी टी शर्ट
11.	प्रदर्श पी–11	नक्शा नजरी
12.	प्रदर्श पी– 12	अपर पुलिस अधीक्षक , पुलिस दूर संचार देहरादून द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट

<u>वस्तु प्रदर्श सूची</u>

क्रम सं0	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	वस्तु प्रदर्श –1	यातायात वर्दी का पुलिन्दा
2.	वस्तु प्रदर्श –2	वादी की वर्दी की शर्ट
3.	वस्तु प्रदर्श–3	वर्दी की टूटी नेम प्लेट
4.	वस्तु प्रदर्श–4	टी शर्ट का माल पुलिन्दा
5.	वस्तु प्रदर्श –5	वादी की नीले रंग की टी शर्ट
6.	वस्तु प्रदर्श –6	नमूना मोहर वादी की शर्ट
7.	वस्तु प्रदर्श–7	नमूना मोहर वादी की टी शर्ट

<u>बचाव प्रदर्श</u>

शून्य

दिनांकः 06.11.2026

(अंजली बेंजवाल)
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश
देहरादून।